

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Bilaspur

No. SBF/भंडार / कैटीन/कोटेशन /01/2025

दिनांक: 12.03.2025

प्रति,

कार्य का नाम :- मंडल रेल प्रबंधक / बिलासपुर, कार्यालय परिसर में स्थित मंडल कैन्टीन का संचालन निविदा के माध्यम से 02 वर्ष की अवधि के लिए करने बावत।

सूचित किया जाता है कि मंडल रेल प्रबंधक / बिलासपुर, कार्यालय परिसर में स्थित मंडल कैन्टीन पर लगभग बारह सौ रेल कर्मचारियों / आंगुतकों के लिए निर्धारित नियमों / शर्तों के तहत चाय, नास्ता एवं भोजन की आपूर्ति के लिये कैन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा का प्रारूप एवं कैन्टीन संचालन के नियम सलग है।

निविदा आवश्यक दस्तावेजों, अमानती राशि इत्यादि को पूर्ण रूप से भरकर मुख्य कार्यालय अधीक्षक / भंडार अनुभाग, में दिनांक: 26.03.2025 को 16.30 बजे तक जमा करे। निविदा दिनांक 26.03.2025 के 17.00 के पश्चात खोला जाएगा।



मण्डल कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे / बिलासपुर

निविदा अनुसूची

कार्य का नाम :- मंडल रेल प्रबंधक / बिलासपुर, कार्यालय परिसर में स्थित मंडल कैन्टीन का संचालन कोटेशन निविदा के माध्यम से दो वर्ष (Two Year) की अवधि के लिए करने बावत।

अमानती राशि (Earnest Money) :- 10,000/- (दस हजार मात्र)

क्र मां क	कार्य का विवरण	मानक दर	गुणक दर की विधि	प्रस्तावित दर अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जावे
	मंडल रेल प्रबंधक / बिलासपुर, कार्यालय परिसर में स्थित मंडल कैन्टीन का संचालन कोटेशन निविदा के माध्यम से दो वर्ष (Two Year) की अवधि के लिए करने बावत।	मानक दर हेतु विभागीय सूची अनुलग्न -A में सलग्न है।	सलग्न किये गए मानक दर सूचि के सापेक्ष दर ज्यादा या कम।	

नोट :-

- आवेदनकर्ता को चाहिए कि केवल इस शीट के निर्धारित स्थान पर ही प्रत्येक वस्तु के लिए एकल दर का उल्लेख करें। एकल दर पूर्णांक में होना चाहिए। 50 (पचास) पैसे तथा ऊपर के गुणक को अगले पूर्ण रूपये में दर्शाया जाए तथा इससे नीचे के गुणक पिछले पूर्ण रूपये में दर्शाया जाए।
- आवेदन पत्र पर दरों का उल्लेख अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा जाए किसी विसंगति के मामले में शब्दों में उल्लेखित दर को प्रस्तावित दर के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
- प्रस्तावित दर में संशोधन वर्जित है इसमें किसी प्रकार की काट-छाँट न की जावे अपरिहार्य परिस्थिति में की गई त्रुटि संशोधित रूप में पुनः दर्शायी जा सकती है, जिसे हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।



मण्डल कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर
आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र	विषय वस्तु	विवरण
1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	पत्र व्यवहार का पता	
4	वर्तमान में व्यवसाय	
5	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र की स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
6	कैन्टीन संचालन हेतु कार्य अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र की स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
7	यदि पूर्व में रेलवे में कार्य किया हो तो उसका विवरण दे कि कहाँ पर कार्य किया है। (प्रमाण पत्र की स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
8	कोई आपराधिक प्रकरण लंबित / विचारधीन तो नहीं, यदि है तो उसका विवरण दें।	
9	पैन नंबर (छाया प्रति संलग्न करें)	
10	मोबाइल नंबर	
11	आधार नंबर (स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
12	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकरण का विवरण: जारीकर्ता एवं तारीख: वैधता की तारीख: (प्रमाण पत्र की स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
	मै समिति द्वारा सूचीबद्ध मदों की मूल्य सूची / प्रस्तावित दर संलग्न कर रहा हूँ।	

दिनांक:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

मोबाइल नंबर:

गवाह के हस्ताक्षर

नाम व पता

मोबाइल नंबर

आधार नंबर



मण्डल कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर

वर्तमान स्वीकृत मूल्य सूची की दरें (अनुलग्न -A)

क्रमांक	सामग्री	मात्रा/नग	वर्तमान दर (रुपये में)) समस्त कर सहित	ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर समस्त कर सहित
भोजन थाली (एक दाम)				
1.	चावल	100 ग्राम	₹ 45 /-	
	रोटी	4 नग		
	दाल	100 ग्राम		
	सब्जी- 02 प्रकार की	75 ग्राम प्रति सब्जी		
	अचार	10 ग्राम		
	सलाद	50 ग्राम		
	पापड़	1 नग		
2.	पूरी -सब्जी	5 नग पूरी एवं 100 ग्राम सब्जी	₹ 20 /-	
3.	अंडा करी	1 अंडा/2 अंडा	₹ 15 /-/₹ 30/-	
4.	ऑमलेट	2 अंडा	₹ 20 /-	
5.	अंडा भूजी	2 अंडा	₹ 20 /-	
6.	ब्रेड- आमलेट	2 ब्रेड 1 अंडा	₹ 20 /-	
7.	मसाला डोसा,सांभर,चटनी	1 नग	₹ 25 /-	
8.	मादा डोसा,सांभर,चटनी	1 नग	₹ 20 /-	
9.	मसाला उपमा	150 ग्राम	₹ 20 /-	
10.	इडली - प्लेट	3 नग प्रति नग 75 ग्राम	₹ 20 /-	
11.	सांभर बड़ा	2 नग प्रति नग 100 ग्राम	₹ 20 /-	
12.	उत्तपम	1 नग	₹ 20 /-	
13.	मूंग बड़ा	2 नग प्रति 100 ग्राम	₹ 20 /-	
14.	उड़द बड़ा	2 नग प्रति नग 100 ग्राम	₹ 20 /-	
15.	कटलेट/समोसा/आलू गुंडा	2 नग प्रति नग 50 ग्राम	₹ 20 /-	
16.	साबुदाना बड़ा	2 नग प्रति नग 50	₹ 20 /-	

		ग्राम		
17.	साबुदाना खिचड़ी	200 ग्राम	₹ 30 /-	
18.	आलू पैटिस	2 नग (75 ग्राम)	₹ 20 /-	
19.	ढोकला	2 नग (75 ग्राम)	₹ 20 /-	
20.	सलौनी	100 ग्राम	₹ 20 /-	
21.	ब्रेड- बटर	बटर के साथ 4 नग	₹ 20 /-	
22.	ब्रेड- सैंडविच	आलू मसाला के साथ 1 जोड़ा ब्रेड	₹ 20 /-	
23.	पोहा मटर	150 ग्राम	₹ 20 /-	
24.	बालूशाही	1 नग 50 ग्राम	₹ 8 /-	
25.	बूंदी लड्डू	1 नग 50 ग्राम	₹ 8 /-	
26.	गुलाब जामुन	1 नग 30 ग्राम	₹ 8 /-	
27.	रसगुल्ला	1 नग 30 ग्राम	₹ 8 /-	
28.	बिस्कुट	पैकेट बंद	एमआरपी	
29.	चाय	75 एमएल	₹ 5 /-	
30.	मसाला चाय	75 एमएल	₹ 10 /-	
31.	कॉफी	100 एमएल	₹ 10 /-	
32.	दूध	100 एमएल	₹ 10 /-	
33.	पानी बोतल	1 लीटर	₹ 15 /- या एमआरपी, जो भी कम हो पानी की बिक्री रेल नीर या रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रांड होना चाहिए।	
34.	फ्रूट ज़ूम	पैकेट बंद	एमआरपी	
35.	लस्मी/दही/छांछ	पैकेट बंद	एमआरपी	
36.	कोल्ड ड्रिंक	पैकेट बंद	एमआरपी	
37.	अमूल कूल	पैकेट बंद	एमआरपी	
38.	आइसक्रीम, इत्यादि	पैकेट बंद	एमआरपी	

रूईना

मण्डल कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

कैंटीन संचालन हेतु नियमवाली एवं विशेष शर्तें

1. कैंटीन का संचालन लगभग 1200 कर्मचारी / आगतकों के लिये होगा।
2. प्राईवेट ठेकेदार को समिति की तरफ से केवल निर्णित सुविधाएं जैसे फर्नीचर रूमोई के बड़े वर्तन फिज, ग्राइंडर / मिक्सर आदि दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं दी जायेगी।
3. चूंकि कैंटीन बिना किसी लाभ या हानि के आधार पर चलता है, अतः बिजली का बिल (रूमोई घर) रेल नियमों के तहत समिति द्वारा निर्धारित की गई दर से देय होगा।
4. कैंटीन संचालन का कार्यकाल दो वर्ष (Two Year) का होगा। आवश्यकता अनुसार इसी शर्तों के आधार पर कोटेशन को आगामी एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
5. कैंटीन संचालन में खान-पान की दरें एवं मात्रा समिति तय करेगी। कैंटीन में ब्रेच जाने वाले हर खाद्य सामग्री की उत्कृष्ट गुणवत्ता की जांच कच्चे माल से लेकर कोई भी खाद्य सामग्री तक संचालन समिति करेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता जिसे समिति द्वारा उजागर किया जाता है फर्म के द्वारा तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। अन्यथा अनिवार्य टोकन पेनाल्टी समिति द्वारा जारी की जा सकती है। फर्म द्वारा किसी भी अनुदेश के अवहेलना पर विशेषतः खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता गुणवत्ता पर ध्यान न देने पर समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेका को निरस्त कर सकती है एवं धरोहर राशि को जप्त किया जायेगा।
6. कैंटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री का मीनू समिति तय करेगी। वर्तमान मेन्यू एवं दर अनुलग्नक A के रूप में संलग्न है।
7. कैंटीन संचालन हेतु प्राईवेट ठेकेदार को कम से कम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
8. आवेदन पत्र के साथ अमानती राशि रु 10000/- (दस हजार) मात्र धनादेश (चेक) के रूप में SENIOR DIVISIONAL PERSONNEL OFFICER द. पू. मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम पर देय होगा। जिसे निरस्त / अमान्य आवेदकों को निविदा के पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जायगा।
9. चयन किये गये आवेदन पत्र के आवेदक को कैंटीन संचालन हेतु धरोहर राशि सुरक्षा निधि (मिक्चुरिटी) रु.50000/- (पचास हजार) मात्र धनादेश के रूप में SENIOR DIVISIONAL PERSONNEL OFFICER द. पू. मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम पर देय होगा / जमा करानी होगी।
10. प्राईवेट ठेकेदार को कैंटीन की साफ- सफाई, बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की वस्तुओं की मात्रा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा।
11. कैंटीन में शराब व धूम्रपान वर्जित होगी / यदि कोई व्यक्ति कैंटीन में शराब या मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार की होगी। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार के उपर जुर्माना लगाया जायेगा जो कि कम से कम रु 5000/- होगा तथा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
12. कार्यालय के कार्य दिवसों में कैंटीन समयानुसार आवश्यकतानुसार ही खोली जायेगी जिसका समय समिति निर्धारित करेगी। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन समिति कर सकती है।
13. कैंटीन में लगे हुए सभी समानों की मरम्मत एवं देखभाल ठेकेदार को करना होगा



मण्डल कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर

14. कैटीन में उपलब्ध रेलवे सम्पत्ति की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदार की होगी तथा संबंधित रेलवे सम्पत्ति का कोई नुकसान या चोरी हुआ तो उसकी कीमत प्राइवेट ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
15. कैटीन से निकला कचरा एवं अवशिष्ट पदार्थ के संपूर्ण निपटारा नियमानुसार करने की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदार की होगी।
16. यदि कैटीन के खाने-पीने की व्यवस्था में किसी प्रकार की विपत्ती चीज या नष्ट वाली चीजें मिली तो प्राइवेट ठेकेदार जिम्मेदार होगा तथा इसके लिये प्राइवेट ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
17. प्राइवेट ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैटीन चलाना होगा और संचालन समिति के निर्णीत विंदुओं के आधार पर ही कैटीन का संचालन होगा।
18. कैटीन में कार्यरत कर्मचारियों को कोई संक्रामक बीमारी न हो इसकी सरकारी डॉक्टरों द्वारा जांच की रिपोर्ट निविदा मिलने के सात दिनों के भीतर ठेकेदार को कार्यालय में जमा करानी होगी।
19. कैटीन में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अपराधी प्रकरण लंबित न हो इस कारण कैटीन के कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा निविदा मिलने के सात दिनों के भीतर ठेकेदार को कार्यालय में जमा करानी होगी।
20. कैटीन में कम से कम तीन कुक व छः वेटर होना जरूरी है कैटीन ठेकेदार के सभी कर्मचारी वयस्क (उम्र 18 साल या उससे अधिक) होना चाहिये।
21. कैटीन में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को साफ-सुथरा यूनिफार्म एवं बैच पहनना जरूरी है। कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म एवं बैज ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
22. यदि दो या अधिक ठेकेदारों की दर एक समान प्रस्तावित करने स्थिति में ठेके का निर्णय संचालन समिति अपने विवेक के आधार पर करेगी।
23. उपरोक्त नियमों में समय समय पर संशोधन समिति द्वारा किया जा सकेगा। समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार मानने हेतु बाध्य रहेगा।
24. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत यदि स्थानीय निकाय/ राज्य / केन्द्र शासन द्वारा अधिघोषित नियमों में आवश्यक अनुमति / लाईसेंस ठेकेदार द्वारा प्राप्त स्वयं अपने खर्च पर करना होगा। इसके साथ ही इस कार्य हेतु लगाए के कर्मचारियों / श्रमिकों का भुगतान जैसे न्यूनतम वेतन, पी.एफ एवं अन्य देय राशि केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
25. ठेका निरस्त होने स्थिति में उपलब्ध कराये गये समस्त सामानों को यथावत स्थिति में समिति को वापस करने पर ही गरोहर राशि वापस की जा सकेगी।
26. कैटीन संचालन के लिये किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय संचालन समिति का होगा।
27. ठेकेदार को 100/- रु के नाम जूडिशियल पेपर पर नियमों / शर्तों की सहमति बाबत इकरारनामा देना होगा।
28. विशेष अवसर पर छुट्टियों के दिन जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, कार्यालयीन सभा / मंडल रेल प्रबंधक सभा कक्ष में आयोजित समारोह, रेल समाह अवार्ड एवं प्रशासन के द्वारा घोषित किये गये अवकाश के दिन पूर्व सूचना देने पर कैटीन को खुला रखना होगा तथा खाद्य सामग्री भी सभास्थल/कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
29. कैटीन संचालन के ठेकेदार को कैटीन का संचालन स्वयं करना होगा, पेटी कांट्रैक्ट के रूप में दूसरे ठेकेदार से संचालन करवाने से निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
30. Railway Board's General Condition of Contract for Service 2018 and updated with correction slips time to time will be applicable for this work.

रूखीना

मण्डल कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर